FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम... खींवसर

जोगसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरह

मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं......52..........सन्..2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 23.05..2017	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
.5.2017	प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मोजुद रेकर्ड एवं बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए आगामी पेशी तक बहक उभयपक्षकारान के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित अंतरिम आदेश इस आशय कि जारी की जाती है की मौजा भादुओं की ढाणी के विवादग्रस्त खेत ख.न. 681 रकबा 6 बीघा, ख.न. 687 रकबा 1.09 बीघा, ख.न. 689 रकबा 10.13 बीघा, ख.न. 692 रकबा 28.14 बीघा, ख.न. 1112 रकबा 12.17 बीघा, ख.न. 1113 रकबा 19.12 बीघा, ख.न. 1114 रकबा 57.06 बीघा, ख.न. 683 रकबा 3.05 बीघा, ख.न. 684 रकबा 3.16 बीघा, ख.न. 685 रकबा 23.02 बीघा, ख.न. 688 रकबा 7.10 बीघा, ख.न. 1115 रकबा 10 बिश्वा, ख.न. 1116 रकबा 6.18 बीघा, मौजा खींवसर के खेत ख.न. 1118 रकबा 20.08 बीघा, ख.न. 1119 रकबा 6 बीघा, ख.न. 1120 रकवा 12.06 बीघा, ख.न. 1121 रकबा 7.14 बीघा, का उभयपक्षकारान मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दंखलदाजी न तो स्वंय करे न ही अन्य किसी से करावें। उपरोक्त अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपर्क्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 06.07.2017 पेश हो । सहायक कलक्ट्रर खींवसर	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15/11/22 पत्रावली पेश हुई। पुकारा उप०। वकीलवादी को तलबी पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। परन्तु आदिनांक तक वकीलवादी ने तलबी पेश नहीं की है। अतः वकीलवादी को तलबी हेतु कई बार अवसर देने के बावजूद आदिनांक तक तलबी पेश नहीं कारण उक्त प्रा. पत्र U/S 212 RT Act को आदेश-9, नियम-5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) खींवसर	